FUTURE UNIVERSITY
Learn · Assimilate · Transcend

Future University, Bareilly

Annexure - 03

Act and Notification

Annexure-3

क्रम-संख्या—137

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024
श्रावण 22, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग—1

संख्या 342 / 79-वि-1—2024-1-क-13-2024
लखनऊ, 13 अगस्त, 2024

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन, विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 12 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 02 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की अनुसूची 2 में, क्रम संख्या 41 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भ निम्नानुसार संशोधित किये जायेंगे और नव स्थापित विश्वविद्यालयों के लिये क्रम संख्या 41 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
42	फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

3–(1) राज्य सरकार, फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2024

4–(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 02 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly

No. 342(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-13-2024

Dated Lucknow, August 13, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 12 Of 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Third Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd day of July, 2024.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule 2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 41, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 41 for the newly established Universities, the following serial number and entries relating thereto shall be *inserted*, namely :—

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
42.	Future University, Bareilly, Uttar Pradesh	Shree Rajendra Kumar Gupta Memorial Trust, Bareilly, Uttar Pradesh

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Future University, Bareilly, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 9 of 2024

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private University namely, Future University, Bareilly, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 9 of 2024) was promulgated by the Governor on July 2, 2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 200 राजपत्र–2024–(562)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 80 सा0 विधायी–2024–(563)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly

ANNEXURE-3.

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–997 / सत्तर–1–2024–20(10) / 2020
लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2024

अध्यक्ष,
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट,
बरेली, उत्तर प्रदेश।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बरेली में आपके द्वारा फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध अवगत कराना है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2024) द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची–2 में कमांक 42 पर सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश के संचालन की अनुज्ञा विषयक अधिसूचना संख्या–996 / सत्तर–1–2024–20(10) / 2020 दिनांक 16 जुलाई, 2024 प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जा रही है कि संचालन प्राधिकार–पत्र में उल्लिखित शर्तो के अधीन ही उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश का संचालन किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 110002। (secy.ugc@nic.in)
(2) मंडलायुक्त, बरेली मण्डल।
(3) जिलाधिकारी, बरेली ।
(4) कुलपति / कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
(5) कुलपति / कुलसचिव, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(6) कुलपति / कुलसचिव, डा ए0पी0जे0अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(7) निदेशक, बोर्ड आफ टेक्नीकल एजुकेशन, लखनऊ।
(8) सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
(9) कुलपति / कुलसचिव, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
(10) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एस0सी0ई0आर0टी0, प्रयागराज।
(11) निजी सचिव, मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / न्याय विभाग / राजस्व विभाग / आवास एवं शहरी नियोजन विभाग / संस्थागत वित्त विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग / प्राविधिक शिक्षा विभाग / आयुष विभाग।
(12) अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, फरीदपुर, बरेली।
(13) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 996 / सत्तर–1–2024–20(10) / 2020
लखनऊ : दिनांक : 16 जुलाई, 2024

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2024) द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित, फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को बरेली, उत्तर प्रदेश में फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश के नाम से चलाने की अनुज्ञा देते हैं।

आज्ञा से,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly

Uttar Pradesh Shasan
Uccha Shiksha Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 996/70-1-2024-20(10)/2020, dated: 16 July, 2024:

Notification

No. 996/70-1-2024-20(10)/2020.
Lucknow ; Dated: 16 July, 2024

WHEREAS a private University with the name of Future University, Bareilly, Uttar Pradesh sponsored by Shree Rajendra Kumar Gupta Memorial Trust, Bareilly, Uttar Pradesh has been established vide the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Fourth Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 9 of 2024) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to permit the aforesaid University to operate with the name Future University, Bareilly, Uttar Pradesh in Bareilly, Uttar Pradesh.

By order,

(M. P. Agrawal)
Pramukh Sachiv.

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

संचालन-प्राधिकार पत्र संख्या-04/42/2024

फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।

प्रायोजक संस्था- श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट,

बरेली, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अधीन प्रायोजक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा निजी क्षेत्र में फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-875/सतर-1-2024-20(10)/2020 दिनांक 18 मई, 2023 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश को आशय-पत्र निर्गत किया गया। प्रायोजक संस्था द्वारा आशय-पत्र में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 19-05-2023 द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा धारा 3 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-212/79-वि-1-2024-2-क-6-2024 दिनांक 02 जुलाई, 2024 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2024 के माध्यन से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के साथ संलग्न अनुसूची-2 में क्रमांक-41 के नीचे क्रमांक 42 पर फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश का नाम सम्मिलित किया गया है।

अतएव उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश को शैक्षिक सत्र 2024-2025 से संचालित करने की अनुज्ञा श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रायोजक संस्था फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश के लिये ग्राम गौसगंज सराय तहसील फरीदपुर जनपद बरेली में प्रस्तावित की गयी 20.07 एकड़ भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेगी। भविष्य में निजी विश्वविद्यालय की भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं किया जायेगा तथा इसके किसी भी भू-भाग का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपकी संस्था द्वारा राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश के नियमों, अधिनियमों तथा शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(2) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर संचालित महाविद्यालय को उनसे सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से असम्बद्धीकरण कराते हुए शैक्षिक सत्र 2024-2025 से महाविद्यालय के रूप में छात्रों का प्रवेश लेना बंद कर दिया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय की भूमि नगरपालिका परिषद फरीदपुर, बरेली के क्षेत्रान्तर्गत है।

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly

विश्वविद्यालय के लिये निर्मित भवन विकास प्राधिकरण/नगर निकाय के नियमों से असंगत नहीं होगा तथा भविष्य में संभावित निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रायोजक संस्था द्वारा UGC (Establishment Of And Maintenance Of Standards In Private Universities) Regulations, 2003 तथा समय-समय पर UGC एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(5) निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था जैसे आल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, डिस्टेन्स एजुकेशन काउंसिल, डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन, फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया इत्यादि समय-समय पर दिये गये कार्यक्रम, संकाय, संरचनात्मक सुविधायें, वित्तीय सबलता इत्यादि के सम्बन्ध में न्यूनतम शर्तों को पूरी करेगा।

(6) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम स्नातक एवं परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम संरचना, विषय-वस्तु (contents), अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति एवं छात्रों के प्रवेश हेतु योग्यता मानदण्ड सम्मिलित हों, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर सम्पूर्ण सुसंगत सूचनायें इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने से पूर्व उपलब्ध करायी जायेंगी।

(7) प्रवेश प्रणाली एवं फीस का निर्धारण यू0जी0सी0 एवं अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार होगा।

(8) यदि विश्वविद्यालय का कामकाज असंतोषजनक रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को बन्द करने हेतु निर्देशित किया जायेगा, जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः करना होगा। ऐसी स्थिति में पूर्व से उसमें नामांकित छात्रों के हितों को सुरक्षित किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़ रूपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पांच वर्षों में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रूपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें (उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर) तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित किया जायेगा।

(10) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति की जायेंगी एवं प्रत्येक विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly

(11) विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल-कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था की जायेगी।

(12) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

(13) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित की जायेगी तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जायेंगी।

(14) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य-प्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम 03 माह में बनाये जायेंगे।

(15) भू-राजस्व से संबंधित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों में प्रचलित विधियों एवं समय-समय पर दिये गये मा0 न्यायालयों के आदेश का अनुपालन किया जायेगा। यदि भविष्य में प्रायोजक संस्था द्वारा धृत भूमि की अधिकारिता/अन्तरण के सम्बन्ध में राजस्व विधि से असंगतता पायी जाती है, तो उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(16) भविष्य में सीमा विस्तार के उपरांत प्राधिकरण की सीमान्तर्गत उक्त ग्राम आने पर प्रायोजक संस्था को तत्समय प्राधिकरण की प्रभावी महायोजना/उपविधियों के अन्तर्गत ही मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य करना होगा।

(17) फ्यूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा यू0जी0सी0, उच्च शिक्षा विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित समस्त नियामक संगठनों द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण किए जाने तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायोजक संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ट) से (द) में उल्लिखित शर्तों, जिनकी पूर्ति किये जाने के सम्बन्धी पत्र दिनांक 19-05-2023 द्वारा वचनबद्धता दी गयी थी, की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(एम0 पी अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

Registrar
FUTURE UNIVERSITY
Bareilly